



2026:AHC:13788

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 2849, वर्ष 2025

नीतीश कुमार

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : गौरव तिवारी, राहुल कुमार मिश्रा
प्रतिवादी (यों) के अधिवक्ता : अविनाश चंद्र श्रीवास्तव, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या.- 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेश श्रीवास्तव, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अविनाश चंद्र श्रीवास्तव, प्रतिवादी-ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 5 के विद्वान अधिवक्ता श्री विजय सिंह सेंगर को सुना गया।

2. यह याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:

“i. परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी अधिकारियों को यह आदेश दिया जाए कि वे प्रतिवादी संख्या 5 को ग्राम- करणपुरा, तहसील- बाह, जिला- आगरा में स्थित गाटा संख्या 50 वाली भूमि के भूखंड पर निर्माण कार्य कराने से रोकें, और उस भूमि को प्रतिवादी संख्या 5 के अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराए, क्योंकि यह भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है।

ii. परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी अधिकारियों को यह आदेश और निर्देश दिया जाए कि वे प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने के संबंध में, दिनांक 13.8.2025 को प्रस्तुत याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करें और एक निर्धारित अल्प अवधि के भीतर उस पर निर्णय लें।”

3. इस न्यायालय ने दिनांक 26.9.2025 के आदेश द्वारा विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस मामले में निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया।

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. इस न्यायालय के दिनांक 26.9.2025 के आदेश के अनुपालन में, उप-विभागीय अधिकारी द्वारा भेजी गई दिनांक 23.9.2025 के निर्देश को अभिलेख पर लिया गया।
5. राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता, दिनांक 23.9.2025 के निर्देश की प्रति, आज ही के दिन याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सौंपेंगे।
6. राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने दिनांक 23.9.2025 के निर्देशों के आधार पर यह निवेदन किया कि यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत कार्यवाही पहले ही वाद संख्या T202401010605453 के रूप में दर्ज की जा चुकी है, और इसका निपटारा विधि के अनुसार शीघ्रतापूर्वक किया जाएगा।
7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत प्रतिवादी संख्या 4 / तहसीलदार, तहसील- बाह, जिला- आगरा के समक्ष प्रतिवादी संख्या 5 के विरुद्ध लंबित उपर्युक्त मामले के त्वरित निपटारे हेतु, एक समय-सीमा के भीतर, उचित निर्देश जारी किए जाएं।
8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस जनहित याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाता है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 / तहसीलदार, तहसील- बाह, जिला- आगरा को निर्देश दिया जाता है कि वे उपर्युक्त वाद संख्या T202401010605453 का निर्णय पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात्, शीघ्रतापूर्वक करें।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

20 जनवरी 2026

रमीज़